

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी परसारा (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या २५९ सन् 2021


अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

—: आदेश :-

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू-अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट - "ए" एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 37 रकबा 34.8113 हैक्टेयर किस्म गै0मु खारड़ा में से रकबा 0.5440 हैक्टेयर भूमि में एवं खसरा नम्बर 55 रकबा 6.0513 हैक्टेयर किस्म गै0मु हरड़ा में से रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शों में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 37 रकबा 34.8113 हैक्टेयर किस्म गै0मु खारड़ा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.5440 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 55 रकबा 6.0513 हैक्टेयर किस्म गै0मु हरड़ा में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.4400 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे।

यह आदेश आज दिनांक २१/१२/२१ को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

